

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्या:- १०१२ / FP/UK/ROAD/37250/2018 देहरादून: दिनांक: १४ अक्टूबर, 2021

सेवा में,

सचिव (प्रभारी),
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद—अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सिनार मोटर मार्ग से बहेड़ा रहणधार चौनिया से दलमोड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ०.९४५ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No- FP/UK/ROAD/37250/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत ०.९४५ है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है।

प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), महोदय से पत्रावली पर सहमति प्राप्त करने के उपरान्त, ऑनलाईन प्रपत्र भाग—I से भाग—III एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग—IV पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या / FP/UK/ROAD/37250/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक/कुमाऊँ, नैनीताल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समय—समय पर प्रकरण की समीक्षा करने हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से प्रस्ताव की एक प्रति प्राप्त कर लें।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर—मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
5. जिलाधिकारी, जनपद—अल्मोड़ा।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
7. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत।

(डॉ० कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,
वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

17-	<p>टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<p>प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड द्वारा पत्रावली पर सहमति के पश्चात प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की जाती है।</p>
-----	---	--

तिथि : 18/10/21

स्थान : देहरादून

~~हस्ताक्षर :~~

नाम ~~अौर~~ पदनाम
सरकारी मोहर